रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, दिसम्बर 9—दिसम्बर 15, 2018, शनिवार/अग्रहायण 18—अग्रहायण 24, 1940
No. 30] NEW DELHI, DECEMBER 9—DECEMBER 15, 2018, SATURDAY/AGRAHAYANA 18—AGRAHAYANA 24, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
(रक्षा उत्पादन विभाग)
(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2018

का. नि. आ. 115.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, अनुवादक काडर (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में राजभाषा काडर के लिए भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, राजभाषा काडर भर्ती नियम, 2018 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** वह व्यक्ति.—

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

	candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	

(9)	(10)	(11)
Two years	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7. **Note** : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Govt shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Chairman 2. Joint Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Member 3. Deputy Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 4630/RRs/Gp A & B [JT,ST, AD(OL)]/DGAQA/Adm-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2018

का.नि.आ. 116.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 में, अनुसूची 1 घ के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"अनुसूची 1घ

[नियम 8(2) देखें]

रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा में वैज्ञानिक 'च' और वैज्ञानिक 'छ' को अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उपयुक्तता का निर्धारण करने और वैज्ञानिक 'ज' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) की नियुक्ति के लिए उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए समकक्ष समिति।

(i)	अध्यक्ष, भर्ती और निर्धारण केन्द्र (आर ए सी), रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग	**- अध्यक्ष**
(ii)	सचिव, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग	**- सदस्य**
(iii)	सचिव, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग	**- सदस्य**
(iv)	सचिव, रक्षा विभाग (अनुसंधान तथा विकास) के परामर्श से केन्द्रीय सरकार के अन्य वैज्ञानिक विभागों से किन्हीं दो सचिवों को नामनिर्दिष्ट करेंगे	**- सदस्य**
(v)	अध्यक्ष द्वारा किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक या प्रबंधन विशेषज्ञ को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	**- सदस्य**
(vi)	रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के अध्यक्ष द्वारा रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के एक विशिष्ट वैज्ञानिक को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	**- सदस्य**

टिप्पणी 1. अध्यक्ष को छोड़कर समकक्ष समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति से समकक्ष समिति की कार्यवाहियां अमान्य नहीं होंगी।

टिप्पणी 2. विशिष्ट वैज्ञानिक का ग्रेड प्रदान करने के लिए समकक्ष समिति में उपर्युक्त (i) से (v) यथा सूचीबद्ध शामिल होंगे।"।

[फा. सं. डीएचआरडी/76205/डीआरडीएस/मूल्यांकन बोर्ड/आरआरएस/सी/पी/12/1645/रक्षा(अनु.एवं वि.)]

हर्षा रानी, अवर सचिव

टिप्पणी:- रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम भारत के राजपत्र भाग–II, खंड 4 में का.नि.आ. संख्या 8, तारीख 30 दिसंबर, 1978 द्वारा प्रकाशित किया गया और तत्पश्चात का.नि.आ. 307, तारीख 10 अक्तूबर, 1980, का.नि.आ. 196, तारीख 2 अगस्त, 1982, का.नि.आ. 159, तारीख 6 मई, 1983, का.नि.आ.176, तारीख 7 अगस्त, 1984, का.नि.आ.228, तारीख 13 नवंबर, 1984, का.नि.आ. 170, तारीख 12 जुलाई, 1985, का.नि.आ.186, तारीख 2 अगस्त, 1985 का.नि.आ.228, तारीख 6 जून, 1986, का.नि.आ. 158, तारीख 4 मई, 1987, का.नि.आ. 328, तारीख 25 सितंबर, 1987, का.नि.आ. 11-(अ), तारीख 10 अगस्त, 1990, का.नि.आ.1, तारीख 4 जनवरी, 1991, का.नि.आ.33, तारीख 17 जनवरी, 1991, का.नि.आ.74, तारीख 5 मार्च, 1991, का.नि.आ.146, तारीख 4 जुलाई, 1991, का.नि.आ.74, तारीख 24 मार्च, 1992, का.नि.आ. 125, तारीख 29 मई 1992, का.नि.आ.157, तारीख 26 अगस्त 1994, का.नि.आ. 34, तारीख 8 मार्च, 1996, का.नि.आ. 33, तारीख 2 फरवरी 1998, का.नि.आ.100, तारीख 30 जुलाई, 1998, का.नि.आ. 119, तारीख 09 जुलाई, 1999, का.नि.आ. 51, तारीख 27 मार्च, 2003, का.नि.आ.179, तारीख13 नवंबर, 2003, का.नि.आ.35, 03 फरवरी, 2006, का.नि.आ.52, तारीख 22 सितंबर, 2007, का.नि.आ.62, तारीख 29 जून, 2008, का.नि.आ.83, तारीख 5 अक्तूबर, 2008, का.नि.आ.36, तारीख 9 मई, 2011, का.नि.आ.21, तारीख 23 मार्च 2012, का.नि.आ.11, तारीख 20 दिसंबर 2013 एवं का.नि.आ.33, तारीख 22 अप्रैल 2014 तथा का.नि.आ. 53, तारीख 5 दिसम्बर, 2016 का.नि.आ. 102, तारीख 9 नवम्बर 2017 द्वारा संशोधन किया गया।

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 15th October, 2018

S.R.O. 116—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979, for Schedule 1D, the following shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE 1D

[See rule 8(2)]

The Peer Committee for assessing suitability of Scientist 'F' and Scientist 'G' for promotion to the next higher grade and for assessing suitability for appointment of Scientist 'H' (Outstanding Scientist) in Defence Research and Development Service.

(i)	Chairman, Recruitment and Assessment Centre, Department of Defence Research and Development	- **Chairperson**
(ii)	Secretary, Department of Defence Research and Development	- **Member**
(iii)	Secretary, Department of Personnel and Training	- **Member**
(iv)	Any two Secretaries from other Scientific Departments of the Central Government to be nominated by the Chairperson in consultation with the Secretary, Department of Defence (Research and Development)	- **Member**
(v)	An eminent scientist or Management specialist to be nominated by the Chairperson	- **Member**
(vi)	One distinguished Scientists of Defence Research and Development Organisation to be nominated by the Chairman Defence Research and Development Organisation	- **Member**

Note 1. The absence of any member of the Peer Committee other than the Chairperson shall not invalidate the proceedings of the Peer Committee

Note 2. For conferring the grade of distinguished scientist, the Peer Committee shall comprise as listed (i) to (v).".

[F. No. DHRD/76205/DRDS/ASSESSMENT BOARD/RRs/C/P/12/1645/D(R&D)]
HARSHA RANI, Under Secy.

Note.-The Defence Research and Development Service Rules published in the Gazette of India Part II, Section 4, vide numbers S.R.O. 8, dated the 30th December 1978, and subsequently amended vide S.RO. 307, dated the 10th October, 1980, S.R.O. 196, dated 2nd August, 1982, S.R.O. 159, dated the 6th may, 1983, S.R.O. 176, dated the 7th August , 1984, S.R.O. 228, dated the 13th November, 1984, S.R.O. 170, dated the 12th July, 1985, S.R.O. 186 dated 2nd August, 1985, S.R.O. 228, dated 6th June, 1986, S.R.O. 158, dated the 4th May, 1987, S.R.O. 328, dated the 25th Sep 1987, S.R.O. 11-(E), dated the 10th August 1990, S.R.O. 1, dated the 4th January 1991, S.R.O. 33, dated the 17th January 1991, S.R.O. 74, dated the 5th March, 1991, S.R.O. 146, dated the 4th July, 1991, S.R.O. 74, dated the 24th March, 1992, S.R.O. 125, dated the 29th May 1992, S.R.O. 157, dated the 26th August, 1994, S.R.O. 34, dated the 8th March, 1996, S.R.O. 33, dated the 2nd February, 1998, S.R.O. 100, dated the 30th July, 1998, S.R.O. 119, dated the 09th July, 1999, S.R.O. 51, dated the 27th March 2003, S.R.O. 179, dated the 13 the November, 2003, S.R.O. 35, of the 03rd February, 2006, S.R.O. 52, dated the 22nd September 2007, S.R.O. 62, dated the 29th June 2008, S.R.O. 83, dated the 5th October 2008, S.R.O. 36, dated the 9th May 2011, S.R.O. 21, dated the 23rd March 2012, S.R.O. 11, dated the 20 Dec 2013 and S.R.O. 33, dated the 22nd April 2014, S.R.O. 53, dated the 5th Dec 2016, S.R.O 102, dated the 9th Nov 2017.

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2018

का.नि.आ. 117.—केंद्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम,1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता के निम्नलिखित शिक्षण संस्थान को, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:-

आयुध निर्माणियां शिक्षण संस्थान,
आयुध निर्माणी, अंबाझरी संपदा
अंबाझरी, नागपुर
महाराष्ट्र-440021

[फा. सं. 5 (2) 2011-रक्षा (रा.भा.-2)]
आनंद प्रकाश मिश्र, संयुक्त निदेशक(रा.भा.)